

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज् अदालत उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

वादीगण
अराराद

बनाम

प्रतिवादीगण
गुफाराद अराराद

किस्म प्रकरण :- राजस्व वाद

राजस्व वाद सं. 39/18

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशिल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
16.4.18	यह वाद वादी के अधिवक्ता श्री ट्वीरा पादीन, ने उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 188 के तहत पेश किया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण को जरिये समन् तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 25.5.18 को पेश हो।	
23.5.18	पत्रावली न्याय आय के द्वारा सिविल में काल खेच केन्द्र में जायल में पेश हुयी कमील कमी ने नोट प्रेस कर विवेकन किया कि कमी कल को दलावा नही चाहता है पत्रावली जादिये विद्वालय शर्दीज की जाये कमील कमी के द्वारा नोट प्रेस करने के कारण कमी का वाद जादिये विद्वालय शर्दीज किया जाता है पत्रावली नम्बर से नफेदार हुकम हासिल है	Sw not pres (वक्त)